नेगोशिएशन का विकल्प अतिरिक्त विवाद निस्तारण के तौर पर करना चाहिए : जस्टिस अशोक कुमार जैन

नेगोशिएशन का महत्व पुरातन काल से ही रहा है तथा लम्बे समय से ग्रामीण परिवेश में ही छोटे-मोटे झगड़ों का निस्तारण पंचायत के माध्यम से किया जाता रहा है : आर.डी.रस्तोगी

जयपुर। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने द्वितीय आर के रस्तोगी मेमोरियल राष्ट्रीय नेगोशिएशन प्रतियोगिता 2024 का सफल आयोजन किया। जिसका समापन 29 सितंबर को हुआ। जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अशोक कुमार जैन मुख्य अतिथि रहे। समारोह के अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर अल्पना कटेजा कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय ने की तथा सशस्त्र बाल अधिकरण के अध्यक्ष एवं न्यायिक सदस्य न्यायाधिपति गोवर्धन बाढ़दार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

प्रतियोगिता में देशभर की लगभग 35 से अधिक टीमों ने भाग लिया, दो दिवसीय प्रतियोगिता का चार चरणों में आयोजन किया गया जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं ने प्रतिभागिओं कौशल को सराहा। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली की टीम विजेता रही एवं सिंबोसिस लॉ कॉलेज पुणे में द्वितीय स्थान प्राप्त किया साथ ही सर्वश्रेष्ठ नेगोशिएटर तान्या खनोजा रही, स्पिरिट ऑफ़ द कम्पीटीशन का पुरस्कार देव माहेश्वरी ने प्राप्त किया।

समापन समारोह में न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने कहा कि नेगोशिएशन का विकल्प विवाद निस्तारण नहीं बल्कि अतिरिक्त विवाद निस्तारण के तौर पर विकसित करना चाहिए जिसमें छोटे मामले न्यायालय में न पहुंचे और न्यायालय पर अधिक भर काम किया जा सके।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर कल्पना कटेजा ने कहा कि नेगोशिएशन केवल वकील को ही नहीं अपितु प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए तथा सफल नेगोशिएशन का मुख्य आधार धैर्य से आता है तथा उन्होंने प्रतियोगिता के बारे में कहा कि इस प्रतियोगिता से सभी कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। न्यायाधीश गोवर्धन बाढदार ने नेगोशिएशन का आधिकारिक उपयोग कर इससे आपसी विवादों को सुलझाने की सलाह दी।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राज दीपक रस्तोगी जो कि इस प्रतियोगिता के संरक्षक भी है, ने कहा नेगोशिएशन का महत्व पुरातन काल से ही रहा है तथा भारत में लम्बे समय से ग्रामीण परिवेश में ही छोटे-मोटे आपकी झगड़ों का निस्तारण पंचायत के माध्यम से किया जाता रहा है और और मूलतः भारतीयों का नेगोशिएशन से आपसी समझाइश में इसमें गहरा विश्वास रहा है।

वीजीयू के सीईओ इंजीनयर ओंकार बगड़िया ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में यह अत्यंत आवश्यक है कि अधिवक्ता एवं न्यायिक अधिकारी टेक्नोलॉजी का पूर्ण उपयोग सीखें करें जिससे भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) के आने से नेगोशिएशन तथा अन्य न्याय वितरण प्रक्रिया को और अधिक कुशल बन सके वीजीयू के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री संतोष कुमार ने कहा कि नेगोशिएशन को हर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि छोटे-मोटे विवाद उत्पन्न ही ना हो और यदि हो भी तो आपसी समझाईश से सुलझाई जा सके।वीजीयू के रजिस्ट्रार प्रोफेसर प्रवीण चौधरी तथा विधि विभाग के डीन प्रोफेसर पी. पी. मित्रा ने सभी को इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए बधाई दी।

विधि विभाग की अध्यक्ष शिल्पा राव रस्तोगी ने धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने शैक्षिक एवं शैक्षिणक साथियों तथा सभी छात्रों को समारोह को सफल बनाने का श्रेय दिया तथा भविष्य में इसी प्रकार की अगली अंतरराष्ट्रीय नेगोशिएशन प्रतियोगिता आयोजित करने की बात कही।

विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने द्वितीय आर.के.रस्तोगी मेमोरियल राष्ट्रीय नेगोशिएशन प्रतियोगिता का समापन 29 सितंबर को हुआ। इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अशोक कुमार जैन मुख्य अतिथि रहे। समारोह के अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर अल्पना कटेजा कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय ने की तथा न्यायिक सदस्य न्यायाधिपति गोवर्धन बाढ़दार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत "मेरी पॉलिसी-मेरे हाथ" अभियान की शुरूआत आज

नई दिल्ली/जयपुर। देश के किसानों के लिए भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा "मेरी पॉलिसी-मेरे हाथ" छठा संस्करण शुरू होने जा रहा है। इस अभियान की शुरूआत 1 अक्टूबर से होगी और 31 अक्टूबर तक चलेगा। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत पूरे देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 4.5 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा पॉलिसी के दस्तावेज़ वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत सभी बीमित किसानों को उनके पॉलिसी दस्तावेज उन्हें उनके हाथों में सौंपे जाएं ताकि उनको उनके फसल बीमा से संबंधित सभी जानकारी पूरी तरह से पारदर्शी हो।

- देश के 4.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए यह अभियान 1 से 30 अक्टूबर तक चलेगा

किसानों को सशक्त बनाने का मिशन

मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का एक उद्देश्य किसानों को उनकी फसल बीमा पॉलिसी के प्रति जागरूक करना है ताकि किसानों को बीमा भुगतान संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े। ये अभियान किसानों को सशक्त और प्रोत्साहित करने के लिए चलाया जा रहा है। जागरूकता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार किसानों को प्रशिक्षण देने और उनकी शिकायतों से निपटने के लिए फसल बीमा पाठशालाओं के साथ-साथ फसल बीमा के बारे में कम जागरूकता वाले क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक भी आयोजित करेगी। ये समुदाय-स्तरीय सहभागिताएं किसानों को फसल बीमा के लाभों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगी

किसानों को मिलेगा आर्थिक कवच

जलवायु परिवर्तन और अप्रत्याशित मौसम के बदलाव से किसानों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है ऐसे में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का उद्देश्य किसानों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करना है। जलवायु में उतार-चढ़ाव के कारण अप्रत्याशित जोखिमों और नुकसान को कम करने के लिए फसल बीमा महत्वपूर्ण है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसान की आय सुरक्षित रहे और अपनी आजीविका बनाए रखें।

इस साल 9 करोड़ से अधिक आवेदन

खरीफ 2023 में 8.65 करोड़ बीमा आवेदन प्राप्त हुए थे और इस वर्ष 9 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए जो कि एक उल्लेखनीय वृद्धि है और यह फसल बीमा योजना में किसानों की बढ़ती रुचि और विश्वास को दर्शाता है।

आम सूचना दिनांकः29.09.2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री कृष्ण कुमार वैद पुत्र नवरंग सिह वैद निवासी प्लाट नम्बर 16, नारायण नगर, कमानी रोड, झोटवाडा, जयपुर राजस्थान की पुत्री कुमारी किरण उम्र -26 साल मेरे अभिभाष्य के कहे कथन मे नही है तथा वह बिना बताये दिनांक 28.08.2024 को बिना बताये घर से चली गई व वापस लौट कर नही आई जिसकी रिर्पोट पुलिस थाना झोटवाडा मे गुमशुदगी की दर्ज करवाई, अब पता चला है कि उक्त किरण किसी अन्य व्यक्ति सुबीर चारण के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है, इस कारण मेरे अभिभाष्य ने यह निर्णय लिया है कि वे किरण को अपनी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति से उसे बेदखल करते है तथा उसके साथ आम व खास के द्वारा किये गये किसी भी समव्यवहार के लिये मेरा अभिभाष्य दायी नही होगा तथा किरण से मेरे अभिभाष्य व उनके अन्य पुत्र व पुत्रीयो तथा परिवार का कोई लेनदेन नही रहेगा।

जयपुर भवदीय (विमल शर्मा) एडवोकेट

कार्यालय/ निवास- ई-52ए /ई-73, प्रेम नगर, झोटवाड़ा, जयपुर 9829017960

खोया पाया

मेरे फ्लैट संख्या 11/1244 (FF) मालवीय नगर, जयपुर का आंवटन कम कब्जा पत्र एवं डिक्लरेशन पत्र कहीं खो गया है। यदि किसी के मिले तो सूचित करें। मो.9672344289

नाम परिवर्तन

मैं देवी बाई मानसिंघानी पत्नी श्री नारायण दास मानसिंघानी निवासी फ्लैट न.जी-1, प्लाट न.4, गोविन्द नगर, ब्रह्मपुरी, जयपुर। मैंने अपना नाम देवी मानसिंघानी से बदलकर देवी बाई मानसिंघानी रख लिया है। भविष्य में मुझे देवी बाई मानसिंघानी के नाम से जाना जाये।

मैं चुन्नीलाल, मैंने मेरा नाम बदलकर चुन्नीलाल की जगह चुन्नीलाल स्वामी रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। पैनकार्ड, आधार कार्ड व बैंक खातों में भी मेरा यही नाम है इस प्रकार यही नाम सर्विस रिकार्ड में भी दर्ज किया जाना है। पताः- ए 89ए नेमीनगर, वैशाली नगर, जयपुर

I have changed me and my son name from dhruv Goswami S/o Mahesh Puri goswami to Dhruvpuri Goswami S/o Mahesh Puri R/o 43/49/04, Varun Path, Mansarovar, Jaipur. in furure he will know and recognized by new name

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अचल सम्पत्ति ग्राउण्ड फ्लोर आवासीय फ्लैट/यूनिट नम्बर-GF (पीछे की ओर), फ्लाट नम्बर 45, योजना-रेल नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर, राजस्थान विस्तार सुपर विल्टअप एरिया 1423.15 वर्गफीट (बिना हक छत) स्थित है। उक्त सम्पत्ति को श्री सुनील नोगजा पुत्र श्री चादमल नोगजा ने श्री बृजेन्द्र सिंह राजावत पुत्र श्री मोहन सिंह राजावत से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र लिखा हुआ दिनांक 13.09.2021 ईस्वी द्वारा खरीद कर लिया। यह कि कुछ समय पश्चात् सुनील नोगजा का स्वर्गवास दिनांक 15.11.2023 को हो गया, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके विधिक उत्तराधिकारी में श्रीमती मंजू नोगजा (पत्नी), सुश्री सलोनी नोगजा (पुत्री), श्री सौरभ नोगजा (पुत्र) एवं श्रीमती सुशीला देवी नोगजा (माताजी) उक्त सम्पत्ति के संयुक्त रूप से विधिक रूप से मालिक एवं स्वामी, काबिज हुए, श्रीमती मंजू नोगजा, सुश्री सलोनी नोगजा एवं श्रीमती सुशीला देवी नोगजा, ने उक्त सम्पत्ति में निहित अपने-अपने अविभाजित हिस्से को रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांकित 25.09.2024 द्वारा श्री सौरभ नोगजा पुत्र स्व. श्री सुनील नोगजा के हक में त्याग कर दिया। इस प्रकार श्री सौरभ नोगजा पुत्र स्व. श्री सुनील नोगजा उक्त सम्पत्ति के एकमात्र रूप से विधिक रूप से मालिक स्वामी अधिकारी काबिज हुए। मेरे अभिभाष्य वित्तीय संस्था HDFC Bank Ltd. से ऋण ले रहे हैं, सर्वसाधारण को उक्त सम्पत्ति के विधिक वारिसान, मालिकाना हक, स्वामित्व, कब्जे, अधिकार पर कोई आपत्ति हो तो सात दिवस में लिखित में मय दस्तावेज सूचित करे अन्यथा आपत्ति शून्य, अप्रभावी व अमान्य समझी जावेगी। केदार राम, एडवोकेट, ऑफ नं. 03, प्लाट नं. 2/536, चित्रकूट, वैशाली नगर, जयपुर-302021

आम सूचना जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा/जोन-9/2024/डी-7782 दिनांक 30.09.2024

श्यामपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना दुग्ध विहार के भूखण्ड संख्या 4 क्षेत्रफल 238.33 वर्ग गज की लीजडीड श्री रामसहाय वर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र के नाम से दिनांक 13.02.2007 को जारी की गयी है। उक्त भूखण्ड की लीजडीड पंजीकृत नही करवायी गयी है। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड के दस्तावेज गुम होने के सम्बन्ध मे एफ.आई.आर. की प्रति प्रस्तुत की गयी है। आवेदक श्री रामसहाय वर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र द्वारा उक्त भूखण्ड की लीज होल्ड से फ्री होल्ड लीजडीड जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। अतः प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 4 योजना दुग्ध विहार (श्यामपुरी गृ.नि.स. समिति) की लीजडीड जारी किये जाने के सम्बन्ध मे कार्यवाही की जानी है। इस सम्बन्ध मे किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के अधीन प्रस्तुत करें अन्यथा लीज होल्ड से फ्री होल्ड लीजडीड की कार्यवाही कर दी जावेगी। उपायुक्त, जोन-9

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

पृथ्वीराज नगर (उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर। क्रमांकः जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तरद्वितीय)/2024/डी-702 दि. 26.09.2024

सार्वजनिक सूचना

अपोलो नगर को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. जयपुर की योजना-जगदम्बा नगर-डी, के भूखण्ड संख्या डी-3ए (क्षेत्रफल 187.50 वर्गगज) के नाम हस्तान्तरण/ फ्री-होल्ड लीजडीड हेतु श्रीमती तरूणा देवी पत्नी श्री लोकेन्द्र सिंह ने आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि उक्त भूखण्ड के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदिका के पक्ष में उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/ फ्री-होल्ड लीजडीड कर दी जावेगी। उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-II, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आम सूचना

मैं कि संजय शर्मा पुत्र श्री हरीबाबू आयु 55 साल जाति ब्राह्मण निवासी मंडी अटलबंद रोड़, जिला पुस्तकालय के पास, भरतपुर (राज०) का हूँ।

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मेरा पुत्र संकेत उपाध्याय है जो कि घर में आये दिन उपद्रव /झगड़ा-फसाद करता रहता है तथा पैसों की मांग करता रहता है एवं आपराधिक लोगों के साथ रहता है यदि कोई भी परिवारीजन या दीगर व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी लेन-देन मेरे पुत्र संकेत उपाध्याय से करता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी देने वाले की होगी। हमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा तथा मैं अपने पुत्र संकेत उपाध्याय को अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करता हूँ। यदि मेरा पुत्र कोई भी आपराधिक मामलों में लिप्त पाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी व परिवारीजनों से कोई ताल्लुक नहीं होगा।

प्रार्थी संजय शर्मा पुत्र श्री हरीबाबू मंडी अटलबंद रोड़, भरतपुर

कार्यालय उपायुक्त (विद्याधर जोन) नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(अम्बाबाड़ी सामुदायिक केन्द्र, अम्बाबाड़ी सर्किल, जयपुर)

क्रमांकः-एफ-55()वि जोन/न नि ज (ई)/2024/1881 दिनांकः 30.09.24

सार्वजनिक सूचना

भूखण्ड सं. 104 A जो की नगर निगम ग्रेटर जयपुर की चक हसनपुरा योजना: कैलाश नगर, खातीपुरा रोड़, जयपुर, नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा श्रीमती मोल्लामा पत्नी श्री पी. जे. पुन्नापन के पक्ष में क्षेत्रफल 137.91 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। श्रीमती मोल्लामा पत्नी श्री पी. जे. पुन्नापन ने पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूखंड श्री लक्ष्मण राम पुत्र श्री भूदाराम व श्रीमती लक्ष्मी बायलान पत्नी श्री लक्ष्मण राम को बेचान कर दिया। श्री लक्ष्मण राम पुत्र श्री भूदाराम व श्रीमती लक्ष्मी बायलान पत्नी श्री लक्ष्मण राम ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्री दलिप जाँगिड पुत्र श्री राधेश्याम जाँगिड व श्रीमती सीमा जाँगिड पत्नी श्री दलीप जाँगिड को बेचान कर दिया। श्री दलिप जाँगिड पुत्र श्री राधेश्याम जाँगिड व श्रीमती सीमा जाँगिड पत्नी श्री दलीप जाँगिड ने भूखण्ड सं. 104 A जो की नगर निगम ग्रेटर जयपुर की चक हसनपुरा योजना कैलाश नगर खातीपुरा रोड जयपूर, का नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस मेंअधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

उपायुक्त- विद्याधर नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

अज अदालत श्रीमान पारिवारिक न्यायालय मुकाम सं. 1 जोधपुर महानगर

व इजलास श्री सतीश चन्द्र गोदारा RH53

मुदई पुनीत बंसल मुदायलाह प्रतिभा गुप्ता

दावा बाबत हिन्दु विवाह विच्छेद अधि. U/s 13

मुकदमा नं. 337/24 सन् 2024

मुराम्मी प्रतिभा गुप्ता वाद गौरीशंकर गुप्ता कौम अग्रवाल साकिन ई-5/43, चित्रकूट सेक्टर-5, जयपुर 302021 ने पुनीत बंसल आपके विरूद्ध हिन्दु विवाह विच्छेद के लिए वाद संस्थित किया है।

आपको न्यायालय में तारीख 08.11.2024 दिन में 10.30 बजे दावा का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिये सम्मन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश हो गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सकेगा जिसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज को आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा मय मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह अपने कब्जे या शक्ति में है या न हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते तो आप ऐसी दस्तावेजों की लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगें तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। आज तारीख 31 माह 08 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

अदालत मुहर

आज्ञा से वरिष्ठ मुंसरिम पारिवारिक न्यायालय सं. 1 जोधपुर (राज.)

कार्यालय ग्राम पंचायत दौनारी, पंचायत समिति सैपऊ (धौलपुर)

क्रमांक/ग्रा.प./ई.नि.नि.सा./2024/06 दिनांक: 27.09.2024

ई-निविदा सूचना 01/2024-2025

ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में महानरेगा एवम् ग्रामीण विकास एवम् पंचायतीराज की विभिन्न योजनाओं के तहत सम्पूर्ण वर्षवार स्वीकृत निर्माण कार्यों में निर्माण सामग्री आपूर्ति अनुमानित लागत लगभग 50.00 लाख के लिये सक्षम श्रेणी के पंजीकृत फर्मों से ऑनलाइन ई-निविदा दिनॉक 06.10.2024 को समय 10:00 एएम तक आमंत्रित की जाती है, जिसका UBN No.ZDH2425GLRC00418 है। विस्तृत विवरण https://.sppp.rajasthan.gov.in व https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।

सरपंच ग्राम पंचायत दौनारी — ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दौनारी

कार्यालय ग्राम पंचायत गढीचटोला, पंचायत समिति सैपऊ (धौलपुर)

क्रमांक/ग्रा.प./ई.नि.नि.सा./2024/20 दिनांक: 27.09.2024

ई-निविदा सूचना 01/2024-2025

ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में महानरेगा एवम् ग्रामीण विकास एवम् पंचायतीराज की विभिन्न योजनाओं के तहत सम्पूर्ण वर्षवार स्वीकृत निर्माण कार्यों में निर्माण सामग्री आपूर्ति अनुमानित लागत लगभग 50.00 लाख के लिये सक्षम श्रेणी के पंजीकृत फर्मों से ऑनलाइन ई-निविदा दिनॉक 07.10.2024 को समय 10:00 एएम तक आमंत्रित की जाती है, जिसका UBN No.ZDH2425GLRC00417 है। विस्तृत विवरण https://.sppp.rajasthan.gov.in व https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।

सरपंच ग्राम पंचायत गढी चटोला — ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गढी चटोला

AU SMALL FINANCE BANK

Registered Office : 19-A Dhuleshwar Garden, Jaipur, Rajasthan, India, 302001. www.aubank.in

LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS

The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from AU Small Finance Bank Limited ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles on **07 Oct 2024 between 11:00 AM - 3:00 PM (Time)** at below mentioned branches according to the mode specified therein. In the case of deceased borrowers, all conditions will be applicable to legal heirs. Please note that in the event of failure of the above auction, the bank reserves its right to conduct another auction without prior intimation.

E-Auction Branch Details (E-auction will be conducted by using Weblink https://gold.samil.in)

BANSWARA - 23660002354118 | **BASSI** - 24660000511686 | **BHILWARA** - 23660002368872 | **BIKANER** - 24660000441167 | **CHITTORGARGH** - 23660002377874 | **JAIPUR - QUEENS ROAD** - 23660002332270 | **JAIPUR-TRIVENI NAGAR** - 23660002362433 | **JODHPUR ITI CIRCLE** - 23660002352552 | **KOTA -GHODE WALA CIRCLE** - 23660002351523 23660002391587 | **RATANGARH** - 23660002400013 | **SAGWARA** - 23660002381236 | **UDAIPUR - MADHUBAN** - 23660001360643 23660002004028 24660000921674 |

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form, which is made available before the commencement of auction.

Sd/- Manager AU Small Finance Bank Limited

देश विरोधी ताकतों को समाप्त करने के लिए भाजपा को मजबूत करना होगा : मदन राठौड़

- 'सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन सामान्य तक लेकर जाएं, फिर सदस्य बनाएं'
- भाजपा पंचायत राज प्रकोष्ठ की सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश कार्यालय में पंचायत राज प्रकोष्ठ की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि देश विरोधी ताकतों को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना होगा। इसके सदस्य अभियान से अधिक से अधिक जन सामान्य को जोड़कर मजबूत करना होगा। इस अभियान में पंचायत राज प्रकोष्ठ की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समाज के अंतिम छोर तक पहुंच का सुगम माध्यम है।

बैठक को संबोधित करते हुए पंचायत राज केबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने कार्यक्रताओं से आग्रह किया कि सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन सामान्य तक लेकर जाएं और लोगों को लाभ पहुंचा कर पार्टी से जोड़कर राष्ट्र को मजबूत करने में प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभाएं। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सदस्य अभियान सहसंयोजक मोती लाल मीणा ने सदस्यता अभियान के लिए पदाधिकारियों को प्रवास करने एवं निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने का आव्हान किया।

प्रदेश संयोजक रघुवीर सिंह चौधरी ने बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों का संगठनात्मक कार्य विभाजन करते हुए जिला प्रभारियों एवं जिला संयोजकों को सदस्यता लक्ष्य निर्धारित करते हुए पुरा करने का निर्देश दिया। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी भुपेंद्र सैनी, प्रकोष्ठ के सहसंयोजक गोविंद प्रभारी, राजेन्द्र मीणा, पायल परसरामपुरिया, उदय सिंह, भावना सैनी, मनिष व्यास, माधव चौधरी सहित प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं जिला संयोजक उपस्थित रहे।

जिंदा बम प्रकरण में बयान दर्ज कराए

जयपुर। जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत में सोमवार को मई 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दौरान जिंदा मिले बम के मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गलता गेट थाने के तत्कालीन एसएचओ सुरेश कुमार ने बयान दर्ज कराए। मामले में कुल 115 गवाहों में से 107 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। बयान में सुरेश कुमार ने कहा कि 13 मई 2008 को उन्हें तत्कालीन नॉर्थ एसपी से बम ब्लास्ट की सूचना मिली थी। वे जौहरी बाजार में एलएमबी के पास दुकान नंबर 81 पर गए थे। वहां पर उन्होंने मौका नक्शा बनाया और वहां से साइकिल, छर्रे, जूते व एक पानी की टंकी जब्त की थी।

राज.वि.वि.में वर्ष 2005 में लागू हुई सामूहिक छात्र दुर्घटना सहायता योजना

जयपुर, (का.सं.)। श्री विशन सिंह शेखावत शोध एवं शिक्षण संस्थान राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अध्यक्ष डॉ भूपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय में वर्ष 2005 में सामूहिक छात्र दुर्घटना सहायता योजना लागू हुई। राजस्थान विश्वविद्यालय में वर्ष 2005 में यह योजना स्थाई रूप ले चुकी है। वर्तमान में इस योजना के तहत मृत छात्र के मनोनीत परिजन को 12 लाख, एवं दुर्घटना में घायल छात्र को चिकित्सा के लिए 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, सहायता की यह कुल राशि करोड़ों में पहुंच गई है।

विधि महाविद्यालय से जुड़े एक 22 वर्षीय छात्र की वर्ष 2004 में कॉलेज से घर जाते समय एक सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। अपनी विधवा माता का यह एकलौता पुत्र था, परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति को सामने रखते हुए इस छात्र के परिजनों एवं मित्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष इस छात्र के परिवार, विशेष रूप से इसकी विधवा माता की आर्थिक मदद की गुहार लगाई। विश्वविद्यालय प्रशासन मदद की भावना रखते हुए भी विश्वविद्यालय में इस तरह की सहायता का कोई विशेष प्रावधान न होने के कारण असहाय हो गया।

'आमजन भी भाजपा में शामिल हों'

- भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जयपुर देहात उत्तर जिले की समीक्षा बैठक की

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोमवार को भाजपा जयपुर देहात उत्तर जिले की सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की। मनोहरपुरा के एक निजी गार्डन में बैठक को संबोधित करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार लगतार जनहितैषी कार्य कर रही है। फिर चाहे वो बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हो, या फिर गरीब, दलित और वंचितों के हितों के लिए योजनाओं को शुरू करने की बात हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आमजन की भी जिम्मेदारी है कि वे भाजपा परिवार में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूती प्रदान करें।

राठौड़ ने कहा कि वर्तमान समय की जरूरत को देखते हुए हर नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है। देश-प्रदेश में चल रही गतिविधियों पर नजर रखने की आवश्यकता है। वहीं भाजपा के सदस्यता अभियान में घर-घर जाकर सदस्य बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय होना पडेगा। भाजपा कार्यकर्ता प्रतिदिन कुछ समय निरंतर सदस्यता अभियान को अवश्य दें। समीक्षा बैठक में राठौड़ ने प्रत्येक कार्यकर्ता को 200 सदस्य बनाने का संकल्प दिलाया।

बैठक में जमवारामगढ विधायक महेंद्र पाल मीणा, भाजपा प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी, जिलाध्यक्ष श्याम शर्मा सहित भाजपा पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इस दौरान पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल, भाजपा नेता उपेन यादव, शाहपुरा पालिका अध्यक्ष बंशीधर सैनी, मनोहरपुर पालिका अध्यक्ष सुनीता प्रजापत, मंडल अध्यक्ष रामप्रकाश नाई, जिला महामंत्री बृजेश सोनी, जिला मंत्री ताराचंद चौधरी, एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष भगवान सहाय बेनीवाल, एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष रामावतार असवाल सहित कई विधायकगण, विधायक प्रत्याशी, जिला पदाधिकारी, पार्टी के निर्वाचित प्रधान ,नगर पालिका अध्यक्ष, उप प्रधान, जिले में रहने वाले प्रदेश पदाधिकारी, सदस्यता अभियान एवं सेवा पखवाड़ा के जिला संयोजक, सहसंयोजक सभी मोर्चों के जिला अध्यक्ष, महामंत्री सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री ,सदस्यता अभियान के सभी मंडल संयोजक, सहसंयोजक उपस्थिति रहे।

'ओपन जेल की आवास क्षमता कम नहीं होगी'

जयपुर। सांगानेर स्थित ओपन एयर जेल की जमीन पर अस्पताल बनाए जाने के मामले में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब पेश किया गया। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने जवाब पेश कर कहा कि ओपन जेल के लिए 14,940 वर्गमीटर जमीन का और आवंटन किया जाएगा। वहीं इसकी वर्तमान आवास क्षमता 410 को कम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जेल के पास की 22,232 वर्गमीटर जमीन का आवंटन तीन सौ बैड के अस्पताल के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि सांगानेर में अस्पताल की आवश्यकता को देखते हुए सरकार वहां इसका निर्माण करेगी और जमीन का आवंटन किया जाए।

कांग्रेस आज ज्ञापन देगी

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार प्रदेश की सभी जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस की ओर से आमजनता की समस्याओं एवं मांगों को प्रदेश सरकार तक पहुंचाने तथा सरकार को नींद से जगाने हे